

न्यायालय एवं जिला कलेक्टर काशी जिला-प्रां

प्रकरण सं 113/2013, 02/2021


निवेदन दिनांक 02-08-2021

अवगती :- भवानी सिंह बनाम खगीर सिंह

निर्णय

अवगती प्रकरण में दिनांक 29-6-2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तत्पश्चात दिनांक 26-10-2016 को संशोधित डिक्री जारी की गई। डिक्री की पालना में तहसीलदार बस्वा को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बस्वा ने इसके पर विभाजन कर कुरेजात पर प्रकरण [भू. सं.] 21/708 दिनांक 19-2-2021 से अभिलेखित।

उभयपक्ष एवं उभयपक्ष अधिकाधिक ने कुरेजात पर बहाल हुनाई तथा प्राप्त कुरेजात अड्डाल अंतिम डिक्री कब का अड्डाल किया, सद्वर्ती प्रकरण की हमने प्राप्त कुरेजात का व पहावती का अवलोकन किया उभयपक्ष अधिकाधिक की बहस पर मंजूर किया कुरेजात के अड्डाल अंतिम डिक्री कब का उचित समझते हैं अतः आदेश है कि:

ग्राम 2 पालावाल बुई तहसील बस्वा जिला - बांसा के खता सं 65-67 का निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।  
1) आठ ख-नं 819/1 रकबा 0.14 है, ख-नं 824 रकबा 1.01 है।  
किया 2 रकबा 1.15 है। भवानी सिंह, मोहन सिंह पिठ अमर सिंह  
हि 190/745 बिग रहन, सरदार सिंह पुत्र अमर सिंह हि 95/745 जाति मुकद लाठ देह शक्ति भू. को बैंक धारण  
करे, रकबा सिंह पुत्र धर्म सिंह हि 20/115 जाति   
सां पांचोली खता बहाल रहेगी।

① आ. सं. नं० 819/2 रकम 0-07 है, सं. नं० 820/1 रकम 0-37 है कित्ता 2 रकम 0-40 है रणवीर सिंह, रघुवीर सिंह पि० अंगेश हि० 2/3 अंबराज सिंह दलक पुत्र रामा सिंह विनोद पुत्री रामा सिंह, भोलीदेवी पत्नि रामा सिंह हि० 1/3 हि० के जाति अर्जित साठ देह स्वामेदाए रहेगे।

② आ. सं. नं० 802/2 रकम 0-06 है अमानी सिंह, मोहरा सिंह पि० अमरा सिंह हि० 1/2 कित्ता रकम, सरदार सिंह पुत्र अमरा सिंह हि० 1/6 राहिन पु. को. देक साठा काशीकृष्ण रणवीर सिंह, रघुवीर सिंह पि० अंगेश हि० 1/7, अंबराज सिंह दलक पुत्र रामा सिंह विनोद पुत्री रामा सिंह, भोलीदेवी पत्नि रामा सिंह हि० 1/6 हि० के जाति अर्जित साठ देह स्वामेदाए रहेगे।

रबाता सं० 66-64 ग्राम धालावालि (हं. व. सा.) जिला होला नर निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

1- आ. सं. नं० 823/1 रकम 0-05 है, सं. नं० 825 रकम 0-03, सं. नं० 828 रकम 0-03 है, सं. नं० 831 रकम 0-19 है, सं. नं० 832 रकम 0-02 है, सं. नं० 907/1 रकम 1-04 है कित्ता 6 रकम 1-36 है अमानी सिंह, मोहरा सिंह, सरदार सिंह पि० अमरा सिंह, पार्वती पत्नि अमरा सिंह हि० पूर्ण हि० के जाति अर्जित साठ देह स्वामेदाए राहिन पु. को. देक साठा काशीकृष्ण रहेगे।

2- आ. सं. नं० 821 रकम 1-16 है, सं. नं० 822 रकम 0-15 है, सं. नं० 823/2 रकम 0-24 है, सं. नं० 907/2 रकम 0-46 है सं. नं० 910 रकम 0-10 है कित्ता 5 रकम 2-11 है रणवीर सिंह, रघुवीर सिंह पि० अंगेश हि० 2/3, अंबराज सिंह दलक पुत्र रामा सिंह विनोद पुत्री रामा सिंह, भोलीदेवी पत्नि रामा सिंह हि० 1/3 हि० के जाति अर्जित साठ देह स्वामेदाए रहेगे।

3- आ. सं. नं० 823/3 रकम 0-02 है अमानी सिंह, मोहरा सिंह सरदार सिंह पि० अमरा सिंह, पार्वती पत्नि अमरा सिंह हि० 1/2 हि० के जाति अर्जित, रणवीर सिंह, रघुवीर सिंह पि० अंगेश हि० 1/3 अंबराज सिंह, दलक पुत्र रामा सिंह, विनोद पुत्री रामा सिंह भोलीदेवी पत्नि रामा सिंह हि० 1/6 हि० के जाति अर्जित साठ देह स्वामेदाए रहेगे।

होगी।

उक्त उद्देश्य अन्तिम पक्ष (डिक्ली) जारी हो

निर्णय (मुनाप) गया।

(नीरम कुमाल भीना) ?  
 उपर्युक्त अधिकारी 5  
 (विभागाध्यक्ष)  
 जिला-सोनी।